

Email: cffcpanchkula@gmail.com
21/12/2022 3:07

वन विभाग, हारयाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-903911/2715

दिनांक: 21/12/2022

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.023837 Ha. of Forest Land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pum) at
Proposed location at Khasra No. 138/11-2 in village-Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR-
101), Block: Nagpur, Distl-Fatehabad under Forest Division & Dist -Fatehabad, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार द्वारा INDIAN OIL CORPORATION के अनुरोध पर
कथित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन भेजा गया है । प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया
गया है । इस प्रस्ताव में 0.023837 है० वन भूमि प्रभावित होगी, जिसमें 10 वृक्ष (वाल्युम 10.51 m³) बाधक
हैं जो कटवाए जाएंगे व इसके अतिरिक्त 20 पौधे भी नष्ट होंगे । यह स्थल किसी भी प्रतिबन्धित वन्य
प्राणी क्षेत्र में नहीं आता है । प्रस्ताव में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार राशि सैद्धान्तिक स्वीकृति
प्राप्त होने पर प्रयोक्ता एजेंसी से केम्पा के लेखा में निम्नप्रकार से जमा करवाई जाएगी ।

क्र०सं०	विवरण	राशि
1.	प्रतिपूर्ति पौधारोपण चार्जिज	56235.00
2.	अतिरिक्त पौधारोपण चार्जिज	22494.00
3.	मृदा एवं नमी संरक्षण चार्जिज	23619.00
4.	Supervisory Charge	7873.90
5.	Barbed Charge(A+B)	112000.00
6.	नैट प्रेजेंट वैल्यु आफ फॉरेस्ट लैंड	22831.00
7.	फैलिंग चार्जिज	14714.00
	कुल	259766.00

इस केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि से Fatehabad Branch RD 160 to 161, L/R Side पर 140 पौधे
अगवाए जाएंगे । इस प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है ।

उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार, द्वारा जारी Guideline के चैप्टर -- 4 के पैरा 4.7 के तहत भारत
सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ द्वारा वन संरक्षण
अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जानी है । अतः भारत सरकार के पत्र क्रमांक 1
52/Misc/2019/ROC/496 दिनांक 09.09.2022 के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव संस्तुति उपरान्त आपके
ऑनलाईन पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से भारत सरकार से स्वीकृति हेतु प्रेषित है ।

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
हरियाणा, पंचकुला

Full Title of the Project : Diversion of 0.023837 Ha. of Forest Land for Establishment of Retail Outlet (Petrol Pump) at Proposed location at Khasra No 138/1102 in village-Haroli on Ratia-Sardulgarh Road (MDR-101), Block; Nagpur, Distl-Fatehabad under Forest Division & Dist -Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Approach/142971/2021

PART – IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator Forests or Head of Forest Dept.)

17.	Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks. (while giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon.)	Recommended for approval.
-----	--	----------------------------------

Date 21/12/2022

Place : **Panchkula**

Signature
Name **Principal Chief Conservator of Forests**
Office Seal **Haryana, Panchkula**

9/12/22
12
8/12/22